



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052020-219364
CG-DL-E-14052020-219364

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942

No. 168]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2020

फा.सं.पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :-

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 के विनियम 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः:-

“7 व्याख्या: -

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा”।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./30/2020-21]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 732 (अ), दिनांक 26/11/2007 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 477(अ) दिनांक 7/6/2010 और फा.सं. विधिक/50/2013, दिनांक 21/6/2013 और फा.सं. पीएनजीआरबी/एफ एंड सी/संशोधन विनियम, दिनांक 3/1/2019 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2020

F.No.PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 7 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, the following shall be substituted, namely: –

“7. Interpretation:

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./30/2020-21]

Foot Note: The Principal regulations were notified vide G.S.R. 732(E), dated the 26th November 2007, and amended vide G.S.R. 477 (E), dated the 7th June, 2010 and F.No. Legal/50/2013, dated the 21st June, 2013 and F.No. PNGRB/F and C/Amendment PNGRB Regulations, dated the 03rd January, 2019.